अनुबंध-1

सं. 15/3/2017-ट्रांस

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली

दिनांक, 04 नवम्बर , 2019

कार्यालय आदेश

विषय:- "राष्ट्रीय पारेषण समिति" (एनसीटी) का पुनर्गठन - के संबंध में।

इस मंत्रालय के दिनांक 13/04/2018 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय पारेषण समिति (एनसीटी) का गठन किए जाने के संबंध में, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि मौजूदा एनसीटी की संरचना और संदर्भ शर्तें निम्न प्रकार से संशोधित की गई हैं:

1	अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)	अध्यक्ष
2	सदस्य (विद्युत प्रणाली), सीईए	सदस्य
3	सदस्य (आर्थिक और वाणिज्यिक), सीईए	सदस्य
4	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार में पारेषण का कार्य देख रहे संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी @	सदस्य
5	निदेशक (पारेषण), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
6	मुख्य प्रचालन अधिकारी, केंद्रीय पारेषण यूटीलिटी (पावरग्रिड)	सदस्य
7	सलाहकार, नीति आयोग #	सदस्य
8	विद्युत क्षेत्र के दो विशेषज्ञ *	सदस्यों
9	मुख्य अभियंता (विद्युत प्रणाली स्कंध से), सीईए #	सदस्य सचिव

@ सचिव (एमएनआरई) द्वारा मनोनीत किया जाना है ।

नीति आयोग/सीईए द्वारा नामित किया जाना है।

* विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, समय-समय पर, उनके नामांकन की तारीख से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाना है।

2. समिति के संशोधित संदर्भ शर्तें (टीओआर) इस प्रकार हैं:

i. तिमाही आधार पर राष्ट्रीय ग्रिड के कामकाज का मूल्यांकन करना।

ii. प्रत्येक तिमाही अर्थात; 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी और 15 अप्रैल के अंत तक एनसीटी के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली पारेषण प्रणाली के प्रणाली विस्तार/सुदृढ़ीकरण के लिए आरपीसीटीपी की समीक्षा/सिफारिशों पर विचार करना।

iii. सीटीयू, जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत अधिदेशित है, को आईएसटीएस के तहत पारेषण आवश्यकता का आवधिक मूल्यांकन करना है। सीटीयू को विद्युत के निर्बाध प्रवाह के लिए एक कुशल, समन्वित और मितव्ययी अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली के विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर तिमाही में राष्ट्रीय समिति के समक्ष एक

व्यापक प्रस्तुतीकरण भी देना होगा। सीटीयू , इस प्रक्रिया में , पारेषण प्रणाली में बाधाओं और संकुलनता की पहचान के लिए बाजारों से जानकारी भी ले सकता है

iv. सीटीयू और क्षेत्रीय समितियों की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एनसीटी विभिन्न क्षेत्रों में मांग और उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति का आकलन करेगा; अंतर-राज्यीय, अंतर-क्षेत्रीय अंतरण प्रणाली में बाधाओं, यदि कोई हों, की पहचान करेगा और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारेषण लाइनों, ग्रिड स्टेशनों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रस्ताव करेगा, जिनकी निकट अवधि / मध्यम अवधि में उभरने की संभावना है, ताकि पारेषण वृद्धि को बाधित न करे। एनसीटी 10 से 15 वर्षों के समय को ध्यान में रखते हुए परिप्रेक्ष्य योजना भी तैयार करेगा।

3. अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते समय, एनसीटी टैरिफ नीति के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखेगी।

4. चूंकि एनसीटी राष्ट्रीय पारेषण प्रणाली अर्थात् संपूर्ण क्षेत्रों और राज्यों में पारेषण को देखेगी, इसलिए क्षेत्रीय विद्युत समितियों (पारेषण आयोजना) (आरपीसीटीपी) की पूर्व सहमति प्रासंगिक नहीं होगी। क्षेत्र के भीतर पारेषण मुद्दों के लिए आरपीसीटीपी के विचार प्रासंगिक होंगे; लेकिन पूरे क्षेत्र में पारेषण के मुद्दों के लिए, आरपीसीटीपी के विचार अपर्याप्त होंगे क्योंकि उनके पास राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य नहीं होगा। तथापि, राज्यों और क्षेत्रों में फैली अंतर-क्षेत्रीय पारेषण लाइनों के लिए, इन लाइनों के उद्भव स्थानों के आरपीसीटीपी और समापन स्थानों के आरपीसीटीपी के लिए एनसीटी द्वारा परामर्श लिया जाएगा।

5. एनसीटी की सिफारिशों को निर्णय के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

6. इस मंत्रालय के दिनांक 13.4.2018 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के तहत गठित अधिकारप्राप्त समिति भंग हो गई है।

7. इसे माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-

(बिहारी लाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफैक्स: 23325242

ईमेल: transdesk-mop@nic.in

सेवा में,

1. एनसीटी के सभी सदस्य।
2. सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार।
3. अध्यक्ष, सीईए, नई दिल्ली।
4. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तहत सभी सीपीएसयू के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
5. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सभी स्वायत्त निकायों के प्रमुख।
6. वित्त/बजट अनुभाग, विद्युत मंत्रालय।
7. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत/ऊर्जा सचिव।
8. सभी राज्य विद्युत पारेषण यूटीलिटियों के मुख्य कार्यपालक।

प्रति प्रषित :

(i) माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव/ सचिव (विद्युत) के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/अपर सचिव (पारेषण)/सभी संयुक्त सचिव /आर्थिक सलाहकार/ निदेशक / उप सचिव, विद्युत मंत्रालय।

(ii) तकनीकी निदेशक, एनआईसी, विद्युत मंत्रालय, इस आदेश को विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए।

सं.15/3/2018-ट्रांस-भाग(5)

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली

दिनांक, 20 मई 2021

कार्यालय आदेश

विषय:- राष्ट्रीय पारेषण समिति (एनसीटी) - में संशोधन।

इस मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. 15/3/2017-पारेषण दिनांक 04.11.2019, राष्ट्रीय पारेषण समिति (एनसीटी) के गठन के संबंध में, निम्नलिखित संशोधनों को तत्काल प्रभाव से आदेशित किया जाता है:

क) सीएमडी, पोसोको एनसीटी के सदस्य होंगे।

ख) निम्नलिखित प्रकार्यों को एनसीटी के संदर्भ की शर्तों में जोड़ा जाएगा:

(i) पारेषण योजनाओं तथा उनके कार्यान्वयन के लिए पैकेज तैयार करना और उनके कार्यान्वयन के तरीके अर्थात् टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) / विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) की विद्युत मंत्रालय को मौजूदा टैरिफ नीति के अनुसार सिफारिश करना।

(ii) पारेषण योजनाओं की लागत की जांच करना।

(iii) रोस्टर के रखरखाव द्वारा सीटीयू, आरईसीटीपीसीएल और पीएफसीसीएल के बीच सर्वेक्षण करने का कार्य आवंटित करना।

2. इसके अतिरिक्त, एनसीटी, पारेषण आयोजना पर विचार करते समय निम्नलिखित पहलुओं को भी ध्यान में रखेगी:

(i) क्षेत्रीय विद्युत समितियां (पारेषण आयोजना) केवल अपने क्षेत्र के संबंध में ही सार्थक सिफारिशें कर सकती हैं। वे पूरे क्षेत्र में अंतरणों पर निर्णय नहीं ले सकते।

(ii) उच्च सौर/ पवन ऊर्जा संभावना वाले नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता वाले क्षेत्रों के विकास को सक्षम बनाने के लिए, उन्हें पहचानने और थोक विद्युत निकासी प्रणालियों से जोड़ने की आवश्यकता होगी ताकि वहां क्षमता प्राप्त की जा सके। यह हमारे ऊर्जा संक्रमण लक्ष्य के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय मिशन है।

3. इसे माननीय विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-

(बिहारी लाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफैक्स: 23325242

ईमेल: transdesk-mop@nic.in

सेवा में,

(i) एनसीटी के सभी सदस्य।

(ii) सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार।

(iii) अध्यक्ष, सीईए, नई दिल्ली।

(iv) सीएमडी, पोसोको, नई दिल्ली ।

(v) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सभी सीपीएसई के सीएमडी।

(vi) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के तहत सभी स्वायत्त निकायों के प्रमुख।

(vii) वित्त/बजट अनुभाग, विद्युत मंत्रालय।

(viii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत/ऊर्जा सचिव।

(ix) सभी राज्य विद्युत पारेषण यूटीलिटियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

(x) सीईओ, नीति आयोग, नई दिल्ली।

प्रति प्रेषित:

(i) माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव/ सचिव (विद्युत) के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/अपर सचिव (पारेषण)/सभी संयुक्त सचिव /आर्थिक सलाहकार/ निदेशक / उप सचिव, विद्युत मंत्रालय।

(ii) तकनीकी निदेशक, एनआईसी, विद्युत मंत्रालय, इस आदेश को विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए।

सं.15/3/2017-पारेषण

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली

दिनांक, 4 नवम्बर , 2019

कार्यालय आदेश

विषय : पांच "क्षेत्रीय विद्युत समितियों (पारेषण आयोजना)" (आरपीसीटीपी) का गठन - के संबंध में।

इस मंत्रालय के दिनांक 13.4.2018 के समसंख्यक कार्यालय आदेशों के अधिक्रमण में, पारेषण पर पांच क्षेत्रीय स्थायी समितियों (आरएससीटी), नामतः पारेषण पर पूर्वी क्षेत्रीय स्थायी समिति (ईआरएससीटी), पारेषण पर पश्चिमी क्षेत्रीय स्थायी समिति (डब्लूआरएससीटी), पारेषण पर उत्तरी क्षेत्रीय स्थायी समिति (एनआरएससीटी), पारेषण पर दक्षिणी क्षेत्रीय स्थायी समिति (एसआरएससीटी) और पारेषण पर पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्थायी समिति (एनईआरएससीटी), का गठन किए जाने के संबंध में, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस तथ्य के आलोक में कि वर्तमान पारेषण प्रणाली एक राष्ट्र- एक ग्रिड की प्रकृति की है और राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में पूरी प्रणाली को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक एकल बाजार के रूप में, निर्बाध रूप से विद्युत का परिवहन करना होता है, अतः मौजूदा पांच आरएससीटी को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संरचनाओं के साथ पांच नई "क्षेत्रीय विद्युत समितियों (पारेषण आयोजना) (आरपीसीटीपी)" के साथ बदलकर संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:

पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति (पारेषण आयोजना) (ईआरपीसीटीपी):

1	सदस्य (विद्युत प्रणाली), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)	अध्यक्ष
2	मुख्य प्रचालन अधिकारी, केंद्रीय पारेषण यूटीलिटी (पावरग्रिड)	सदस्य
3	निदेशक (सिस्टम ऑपरेशन), पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सदस्य
4	बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य पारेषण यूटीलिटियों (एसटीयू), के प्रमुख,#	सदस्य
5	पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति के सदस्य सचिव	सदस्य
6	एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसईसीआई और डीवीसी के सीएमडी/एमडी/अध्यक्ष	सदस्य
7	मुख्य अभियंता (विद्युत प्रणाली स्कंध से), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण *	सदस्य सचिव

 # एसटीयू अपनी संबंधित वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मनोनीत किया जाना है।*

पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत समिति (पारेषण आयोजना) (डबल्यूआरपीसीटीपी):

1	सदस्य (विद्युत प्रणाली), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)	अध्यक्ष
2	मुख्य प्रचालन अधिकारी, केंद्रीय पारेषण यूटीलिटी (पावरग्रिड)	सदस्य
3	निदेशक (सिस्टम ऑपरेशन), पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सदस्य
4	गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, संघ राज्य क्षेत्रों दमन एवं दीव, दादरा व नगर हवेली के राज्य पारेषण यूटीलिटियों के प्रमुख (एसटीयू) #	सदस्य
5	पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत समिति के सदस्य सचिव	सदस्य
6	एनटीपीसी, एनएचपीसी और एसईसीआई के सीएमडी/एमडी/अध्यक्ष	सदस्य
7	मुख्य अभियंता (विद्युत प्रणाली स्कंध से), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण *	सदस्य सचिव

 # एसटीयू अपनी संबंधित वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मनोनीत किया जाना है।*

उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति (पारेषण आयोजना) (एनआरपीसीटीपी):

1	सदस्य (विद्युत प्रणाली), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)	अध्यक्ष
2	मुख्य प्रचालन अधिकारी, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता (पावरग्रिड)	सदस्य
3	निदेशक (सिस्टम ऑपरेशन), पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सदस्य
4	जम्मू और कश्मीर, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के राज्य पारेषण यूटीलिटी (एसटीयू) के प्रमुख #	सदस्य
5	उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति के सदस्य सचिव	सदस्य
6	एनटीपीसी, एनएचपीसी और एसईसीआई के सीएमडी/एमडी/अध्यक्ष	सदस्य
7	मुख्य अभियंता (विद्युत प्रणाली स्कंध से), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण *	सदस्य सचिव

 # एसटीयू अपनी संबंधित वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मनोनीत किया जाना है।*

दक्षिणी क्षेत्रीय विद्युत समिति (पारेषण योजना) (एसआरपीसीटीपी):

1	सदस्य (विद्युत प्रणाली), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)	अध्यक्ष
2	मुख्य प्रचालन अधिकारी, केंद्रीय पारेषण यूटीलिटी (पावरग्रिड)	सदस्य
3	निदेशक (सिस्टम ऑपरेशन), पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सदस्य
4	तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	सदस्य